POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 03.03.2023

1-थाना फेस-1 नोएडा पुलिस द्वारा, लेप्स हुई पॉलिसी को केन्सिल कराकर ब्याज सहित पूरा पैसा दिलाने के नाम पर व पॉलिसी पर सस्ती ब्याज दरो पर लोन दिलाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करने वाले मुख्य अभियुक्ता सहित 06 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 1 स्मार्ट फोन, 5 की-पैड फोन व कालिंग डाटा बरामद।

दिनांक 02.03.2023 को थाना फेस-1 नोएडा पुलिस द्वारा, लेप्स हुई पॉलिसी को केन्सिल कराकर ब्याज सहित पूरा पैसा दिलाने के नाम पर व पॉलिसी पर सस्ती ब्याज दरो पर लोन दिलाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करने वाले मुख्य अभियुक्ता 1.सलोनी जैन पुत्री संजय जैन निवासी 27/59, विश्वास नगर, दिल्ली व 05 अभियुक्त 1.दिवाकर शर्मा पुत्र अशोक शर्मा निवासी आर.सी 244, प्रताप विहार, खोडा कॉलोनी, निकट चमेली देवी स्कूल के पास, गाजियाबाद मूल निवासी गांव सुतावर, थाना लाहर, जिला गोरखपुर 2.नजफ मेंहदी पुत्र मेंहदी अब्बास निवासी अलाउद्दीन के मकान में, वन्दना एन्कलेव, खोडा कॉलोनी, गाजियाबाद मूल निवासी गांव फाजिलपुर, थाना हुसैनगंज, जिला शिवान, बिहार 3.विनोद शर्मा पुत्र बालादत्त शर्मा निवासी गंगा विहार, गली नं0-8, खोडा कॉलोनी, गाजियाबाद, 4.दीपक झा पुत्र लक्ष्मण झा निवासी पंचशील एन्कलेव, भोपुरा, गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम बैनीपट्टी, थाना मधुबनी, बिहार 5.विपिन कुमार पुत्र द्वारिका प्रसाद निवासी अलाउद्दीन के मकान में, वन्दना एन्कलेव, खोडा कॉलोनी, गाजियाबाद मूल निवासी गांव मडैया हरसू नंगला, थाना मिलक, रामपुर को कम्पनी ए-7, प्रथम तल, सेक्टर-10, नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 1 स्मार्ट फोन, 5 की-पैड फोन व कालिंग डाटा बरामद किया गया है। इस सम्बन्ध में थाना फेस-1 नोएडा पर मु0अ0सं0 119/2023 धारा 420/34 भादवि व 66 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

अपराध करने का तरीकाः

अभियुक्तों द्वारा जनता के व्यक्तियों को कॉल करके उनकी लेप्स हुई पॉलिसी को केन्सिल कराकर ब्याज सहित पूरा पैसा दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर उनसे फाईल चार्ज व अन्य खर्चे के नाम पर उनसे पैसे ले लेते थे व पॉलिसी पर सस्ती ब्याज दरो पर लोन दिलाने के नाम पर भी लोगो से पैसा हड़प लेते थे। अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि मुख्य अभियुक्ता सलोनी जैन पूर्व में इन्स्योरेन्स कम्पनी में नौकरी करती थी जहाँ से यह पॉलिसी धारको का डाटा ले आयी और उसी लिस्ट में से पॉलिसी धारको को कॉल करके धोखाधड़ी करते है। जिसके सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी की जा रही है।

अभियुक्तों का विवरणः

1.सलोनी जैन पुत्री संजय जैन निवासी 27/59, विश्वास नगर, दिल्ली (मुख्य अभियुक्ता)

2.दिवाकर शर्मा पुत्र अशोक शर्मा निवासी आर.सी 244, प्रताप विहार, खोडा कॉलोनी, निकट चमेली देवी स्कूल के पास, गाजियाबाद मूल निवासी गांव सुतावर, थाना लाहर, जिला गोरखपुर।

3.विनोद शर्मा पुत्र बालादत्त शर्मा निवासी गंगा विहार, गली नं0-8, खोडा कॉलोनी, गाजियाबाद।

4.दीपक झा पुत्र लक्ष्मण झा निवासी पंचशील एन्कलेव, भोपुरा, गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम बैनीपट्टी, थाना मधुबनी, बिहार।

5.विपिन कुमार पुत्र द्वारिका प्रसाद निवासी अलाउद्दीन के मकान में, वन्दना एन्कलेव, खोडा कॉलोनी, गाजियाबाद मूल निवासी गांव मडैया हरसू नंगला, थाना मिलक, रामपुर।

6.नजफ मेंहदी पुत्र मेंहदी अब्बास निवासी अलाउद्दीन के मकान में, वन्दना एन्कलेव, खोडा कॉलोनी, गाजियाबाद मूल निवासी गांव फाजिलपुर, थाना हुसैनगंज, जिला सिवान, बिहार।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः

मु0अ0सं0 119/2023 धारा 420/34 भादवि व 66 आईटी एक्ट थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

1.1 स्मार्ट फोन

2.5 की-पैड फोन

3.कालिंग डाटा

2-थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस व एएचटीयू पुलिस टीम द्वारा अनैतिक देह व्यापार में शामिल 06 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 06 मोबाइल फोन, 2,100 रुपये नगद व अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद।

दिनांक 03.03.2023 को अनैतिक देह व्यापार होने की सूचना मिलने पर डीसीपी नोएडा जोन के निर्देशन व एसीपी-1 नोएडा जोन के नेतृत्व में थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस (जिसमे 03 महिला पुलिसकर्मी) व एएचटीयू टीम द्वारा अनैतिक देह व्यापार में शामिल 06 अभियुक्त 1.अभिषेक पुत्र मुलायम सिंह निवासी ग्राम राजपुर, थाना राजपुर, जिला कानपुर देहात वर्तमान पता नीरज भाटी का मकान, ग्राम सलारपुर, थाना सेक्टर-39, नोएडा 2.मनप्रीत सेट्टी पुत्र रविन्द्र सेट्टी निवासी ग्राम चौडा, सेक्टर-22, थाना सेक्टर-24, नोएडा वर्तमान पता नीरज भाटी का मकान, ग्राम सलारपुर, थाना सेक्टर-39, नोएडा 3.हरीश पुत्र दीपू निवासी ग्राम इलाहबास, थाना फेस-2, नोएडा 4.अनिल पुत्र रामानन्द निवासी देवताह, थाना गौरी बाजार, जिला देवरिया, वर्तमान पता राकेश भाटी का मकान, ग्राम सलारपुर, थाना सेक्टर-39, नोएडा 5.राजन पुत्र निरंजन निवासी ग्राम सलारपुर, थाना सेक्टर-39, नोएडा 6.सगीर पुत्र शमसुल हक निवासी ग्राम परसौतीपुर, थाना जनता बाजार, जिला छपरा, बिहार वर्तमान पता ग्राम सलारपुर, थाना सेक्टर-39, नोएडा व 01 अभियुक्ता को किराए का मकान, काला गेट, सलारपुर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 06 मोबाइल फोन, 2100 रुपये नगद व अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 152/23 धारा 370ए(2)/34 भा.द.वि. व 3/4/5/7(1)(ए)/7(2)(बी) अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 थाना सेक्टर-39 पंजीकृत किया गया है। मौके से 02 महिलाओं को रेस्कयू किया गया जिसके सम्बन्ध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

संक्षिप्त विवरणः

अभियुक्तों द्वारा महिला/पीडिताओं से काला गेट, सलारपुर नोएडा में किराये पर मकान लेकर पिछले 12 दिनों से, मांग पर अनैतिक देह व्यापार कराया जा रहा था।

अभियुक्तों का विवरणः

1.अभिषेक पुत्र मुलायम सिंह निवासी ग्राम राजपुर, थाना राजपुर, जिला कानपुर देहात वर्तमान पता नीरज भाटी का मकान, ग्राम सलारपुर, थाना सेक्टर-39, नोएडा।

2.मनप्रीत सेट्टी पुत्र रविन्द्र सेट्टी निवासी ग्राम चौडा, सेक्टर-22, थाना सेक्टर-24, नोएडा वर्तमान पता नीरज भाटी का मकान, ग्राम सलारपुर, थाना सेक्टर-39, नोएडा।

3.हरीश पुत्र दीपू निवासी ग्राम इलाहबास, थाना फेस-2, नोएडा।

4.अनिल पुत्र रामानन्द निवासी देवताह, थाना गौरी बाजार, जिला देवरिया, वर्तमान पता राकेश भाटी का मकान, ग्राम सलारपुर, थाना सेक्टर-39, नोएडा।

5.राजन पुत्र निरंजन निवासी ग्राम सलारपुर, थाना सेक्टर-39, नोएडा।

6.सगीर पुत्र शमसुल हक निवासी ग्राम परसौतीपुर, थाना जनता बाजार, जिला छपरा, बिहार वर्तमान पता ग्राम सलारपुर, थाना सेक्टर-39, नोएडा।

01 अभियुक्ता

पंजीकृत अभियोग का विवरणः

मु0अ0सं0 152/23 धारा 370ए(2)/34 भा.द.वि. व 3/4/5/7(1)(ए)/7(2)(बी) अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

1.06 मोबाइल फोन

2.2100 रुपये नगद

3.अन्य आपत्तिजनक सामान

3-थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा, घरों में चोरी करने वाले गिरोह के व गैंगस्टर एक्ट में वांछित गैंगलीडर सहित दस-दस हजार रूपये के इनामी दो अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध तमंचे मय 04 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

दिनांक 02/03.03.2023 की रात्रि में थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा, घरों में चोरी करने वाले गिरोह के व गैंगस्टर एक्ट में वांछित गैंगलीडर सहित दस-दस हजार रूपये के इनामी दो अभियुक्त 1.गैंगलीडर अनुज कुमार पुत्र देव सिह निवासी नगला जयलाल, थाना मुहमदाबाद, जिला फर्रूखाबाद व 2.गैंग सदस्य अनूप कुमार पुत्र देव सिह निवासी नंगला जयलाल,

थाना मुहमदाबाद, जिला फर्रूखाबाद वर्तमान पता पुत्तन का मकान, गाँव बेगमपुर, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के डोमिनोज की तरफ सडक किनारे, अल्फा-1 से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 01-01 अवैध तमंचा मय 02-02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए है।

अभियुक्त अनुज व अनूप शातिर किस्म के चोर हैं जिनका एक गिरोह है जिसमें अभियुक्त अनुज गैंग लीडर व अभियुक्त अनूप व साजिद गिरोह के सक्रिय सदस्य है, जो कि रेकी करके बंद पडे मकानों से चोरी कर अवैध धन अर्जित करते है। इस गिरोह के विरूद्ध करीब आधा दर्जन चोरी के अभियोग पंजीकृत है। गिरोह पर नकेल कसने के लिए वर्ष 2022 में गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत कराया गया लेकिन अभियुक्त तभी से फरार चल रहे थे जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त ग्रेटर नोएडा द्वारा 10-10 हजार रूपये का ईनाम घोषित कर रखा था।

अभियुक्तों का विवरणः

1.गैंगलीडर अनुज कुमार पुत्र देव सिह निवासी नगला जयलाल, थाना मुहमदाबाद, जिला फर्रूखाबाद।

2.गैंग सदस्य अनूप कुमार पुत्र देव सिह निवासी नंगला जयलाल, थाना मुहमदाबाद, जिला फर्रूखाबाद वर्तमान पता पुत्तन का मकान, गाँव बेगमपुर, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

आपराधिक इतिहास का विवरणः

1.मु0अ0सं0 836/21 धारा 380/457/411 भादवि थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0 877/21 धारा 380/411 भादवि थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।

3.मु0अ0सं0 887/21 धारा 380/411 भादवि थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।

4.मु0अ0सं0 894/21 धारा 411/414 भादवि थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।

5.मु0अ0सं0 492/21 धारा 380/411 भादवि थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।

6.मु0अ0सं0 455/22 धारा 2(ख)(1)/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।

7.मु0अ0सं0 106/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

1.01 अवैध तमन्चा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर (अभियुक्त अनुज कुमार से बरामद)

2.01 अवैध तमन्चा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर (अभियुक्त अनूप कुमार से बरामद)

4-थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा, नकली दवाईयो का निर्माण व बिक्री कर गम्भीर हानि पहुंचाने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 03.03.2023 को थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा नकली दवाईयो का निर्माण व बिक्री कर गम्भीर हानि पहुंचाने वाले 03 अभियुक्त 1.अतुल रावत पुत्र स्व0 भूपेन्द्र कुमार रावत निवासी फ्लैट नं0-801, टावर एसटर एस के ए, ग्रीन आर्च, सेक्टर-16 बी थाना बिसरख, ग्रेटर नोएडा वर्तमान पता बी 48,49 सेक्टर-67, थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर 2.तुहिन

भट्टाचार्य पुत्र तुलसी माधव भट्टाचार्य निवासी पोस्ट बोसी घाट सार आर्यन रोड जिला 24 उत्तर परगना वेस्ट बंगाल वर्तमान पता पी-1804, पैनोसिस, सेक्ट-70, नोएडा कम्पनी पता बी 48,49 सेक्टर-67, नोएडा 3.मूल सिंह पुत्र स्व0 कुवर पाल सिंह निवासी सी 201, सेक्टर-23, संजय नगर, थाना कविनगर, गाजियाबाद वर्तमान पता बी 48,49 सेक्टर-67 नोएडा को कम्पनी मैसर्स मैरियम बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड बी-48, सेक्टर-67 से गिरफ्तार किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना फेस-3 पर मु0अ0सं0 92/23 धारा 274/275/276 भादवि व 17/17ए/17बी औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, ड्रग्स निरीक्षक द्वारा पंजीकृत कराया गया।

अभियुक्तों द्वारा नकली दवाईयों का निर्माण व बिक्री कर गम्भीर हानि पहुंचाने का अपराध कारित किया है ।

अभियुक्तों का विवरणः

1.अतुल रावत पुत्र स्व0 भूपेन्द्र कुमार रावत निवासी फ्लैट नं0-801, टावर एसटर एस के ए, ग्रीन आर्च, सेक्टर-16 बी थाना बिसरख, ग्रेटर नोएडा वर्तमान पता बी 48,49 सेक्टर-67, थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर

2.तुहिन भट्टाचार्य पुत्र तुलसी माधव भट्टाचार्य निवासी पोस्ट बोसी घाट सार आर्यन रोड जिला 24 उत्तर परगना वेस्ट बंगाल वर्तमान पता पी-1804, पैनोसिस, सेक्ट-70, नोएडा कम्पनी पता बी 48,49 सेक्टर-67, नोएडा

3.मूल सिंह पुत्र स्व0 कुवर पाल सिंह निवासी सी 201, सेक्टर-23, संजय नगर, थाना कविनगर, गाजियाबाद वर्तमान पता बी 48,49 सेक्टर-67 नोएडा।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः

मु0अ0सं0 92/23 धारा 274/275/276 भादवि व 17/17ए/17बी औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।

5-थाना बिसरख पुलिस द्वारा 02 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध पिस्टल .32 बोर मय 02 जिन्दा कार0 .32 बोर, घटना में प्रयुक्त 01 कार व 01 डन्डा बरामद।

दिनांक 03.03.2023 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा 02 वाँछित अभियुक्त 1.अतुल नागर पुत्र हैम सिह नागर निवासी ग्राम सादुल्लापुर, थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर 2.अन्नु उर्फ अभिषेक कसाना पुत्र हरेन्द्र कसाना निवासी ग्राम मिलक लच्छी, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के मिलक लच्छी गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त अन्नु के कब्जे से एक अवैध पिस्टल .32 बोर मय 02 जिन्दा कार0 .32 बोर, एक कार आई-10 ग्रान्ड (घटना मे प्रयुक्त) रजि0नं0-यूपी 16 सीयू 3658 तथा कार के अंदर से घटना में प्रयुक्त एक डन्डा बरामद हुए है। जिसके सम्बन्ध में थाना बिसरख पर मु0अ0सं0 163/2023 धारा 147/148/149/323/307/452 भादवि पंजीकृत है व मु0अ0सं0 170/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

घटना का विवरणः

मुकदमा उपरोक्त मे पीड़ित विकास त्यागी की लगभग 01 वर्ष पूर्व मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्त अतुल नागर से अजनारा मे जिम करने के दौरान दोस्ती हो गयी थी, दोनो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। आज से लगभग 15 दिन पहले मुकदमा उपरोक्त के पीड़ित विकास त्यागी के बारे मे अभियुक्त अतुल नागर को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि तुझे विकास त्यागी, जिम के अंदर गालियां दे रहा था इसी बात पर अतुल नागर व विकास त्यागी के बीच मोबाइल

फोन पर तथा जिम में कहासुनी हुई थी। अभियुक्त अतुल नागर द्वारा अभिषेक उर्फ अन्नू व अपने अन्य 4 साथियों के साथ मिलकर दिनांक 28.02.2023 को मुकदमा उपरोक्त के पीड़ित विकास त्यागी के साथ उनके प्रोपर्टी ऑफिस, त्यागी मार्किट मे जाकर लाठी व डन्डो से मारपीट की थी व बरामद पिस्टल से फायर किया गया था व अपनी इसी बरामद आई-10 कार से अपने साथियो के साथ फरार हो गये थे।

अभियुक्तों का विवरणः

1.अतुल नागर पुत्र हैम सिह नागर निवासी ग्राम सादुल्लापुर, थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।

2.अन्नु उर्फ अभिषेक कसाना पुत्र हरेन्द्र कसाना निवासी ग्राम मिलक लच्छी, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग /आपराधिक इतिहास का विवरणः

1.मु0अ0सं0 163/2023 धारा 147/148/149/323/307/452 भादवि थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0 170/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

1.एक कार आई-10 ग्रान्ड (घटना मे प्रयुक्त) रजि0नं0-यूपी 16 सीयू 3658 तथा कार के अंदर से घटना में प्रयुक्त एक डन्डा।

2.अभियुक्त अन्नु के कब्जे से एक अवैध पिस्टल .32 बोर मय 02 जिन्दा कार0 .32 बोर।

#थाना सेक्टर 20 नोएडा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए कैब में छुटे मोबाइल (आई फोन 14 कीमत करीब 140000 रुपए) को तलाश कर वादी(हर्षित) के किया सुपुर्द, मोबाइल वापस पाकर हर्षित जी के चेहरे पर लौटी मुस्कान।

दिनांक 03.03.2023 को पुलिस चौकी DLF थाना सेक्टर 20 नोएडा पर श्री हर्षित गुप्ता पुत्र श्री राकेश गुप्ता निवासी त्रिलोक अपार्टमेंट पटपडगंज दिल्ली ने उपस्थित आकर सूचना दी कि मैंने अपने घर से अपने मोबाइल से Uber Cab DLF मॉल आने के लिए बुक की थी। मैं अपने दोस्त के साथ DLF मॉल आया तो मेरा मोबाइल iphone 14 Pro कीमत करीब 1,40,000/- उसी कैब में छूट गया है। मेरे पास न कैब का नम्बर है और नाही ड्राइवर का कोई संपर्क नम्बर है, पीड़ित काफी परेशान व चिंतित थे। चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक सुभाष चंद्र ने उन्हें ढांढस बंधाते आश्वस्त किया तथा तत्परता से कार्यवाही करते हुए यूपीआई से किए पेमेंट मोड से चालक का संपर्क नंबर खोजकर उससे संपर्क किया तथा मोबाइल तलाश कर हर्षित जी को मोबाइल सुपुर्द किया गया। पुलिस की इस त्वरित कार्यवाही व मित्रवत व्यवहार के लिए हर्षित जी ने गौतमबुद्धनगर पुलिस का आभार व्यक्त किया।